

From No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत सहायक क्लेयर एवं उपजुज अधिकारी (मुकाम) गान्धार जिल्हा

केसर सिंह वंके बनाम गान्धार

किस्म मुकदमा शाखान वाड नं. 260 पर 245  
45-188 K.T.N.J.

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सदर या खण्ड अहकाम को हुक्म हुक्म को न्यायालय में जारी हुक।
25/08/2015	<p>वकील वादीगण उपस्थित।                      वकील वादीगण द्वारा विद्वद् प्रतिवादीगण के राजमन वाद अन्तर्गत धारा 138 राजस्थान काराकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जो दर्ज है। प्रतिवादीगण को परिश्रम समन तलब किया जाकर पत्रावली नाममात्र दिनांक 1/9/2015 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                      25/8/15</p>	<p>1585</p>
11/9	<p>पत्रावली पेश हुई                      आज पीठारी अधिकारी महोदय, अव्य कार्य को अंश पर है। बैठक से पत्रावली को अंश पर है। अतः पत्रावली को पेश है।                      दिनांक 10/9/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                      रिडर                      उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट                      मारवाड़ जंक्शन</p>	
10/9	<p>वकूलाय अनुपस्थित।                      आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इत्नावा होकर पत्रावली दिनांक 16/9/15 को पेश हो। वकील की हुक्मके दिनांक 16/9/15 को पेश है।                      इत्ना प्रतिवादी की हुक्मके दिनांक 16/9/15 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                      उप खण्ड अधिकारी एवं उप                      खण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं.</p>	<p>मंवेर</p>
16/9/2015	<p>पत्रावली पेश हुई।                      वकील प्रतिवादी वास्तु जमान समन लाहने है अतः पत्रावली नाममात्र दिनांक 14/9/2015 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                      16/9/15</p>	

तारीख  
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज

अ  
का त

21/7/19

पतावली पेश हुई  
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,  
अब्य काथ से /अमण पर है/  
बेठक में पेश /अमण पर है/  
अतः आज 19/8/19 को पेश हो।  
दिनांक 19/8/19

*(Signature)*

उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
मारवाड़ जंक्शन

19/8/19

*(Signature)*

पतावली आज पेश हुई वकील वारी  
उप/ वकील वारी दस्तावेज उपलब्ध/वाए  
को आगे नहीं चलाता चाहिए है तथा  
उपलब्ध को Not-Practising करने को लिखित  
निवेदन / रिप्लाय की वकील वारी के  
निवेदन पर मनन किया गया वकील  
वारी के निवेदन को स्वीकार किया जाता  
है तथा वकील वारी को सदमाल के  
आधार पर दस्तावेज वाए को Not-  
Practising करीज किया जाता है। निवेदन  
केसल शुमार दोमर नम्बर के-अमण है।  
निवेदन लेते उपलब्ध आज दिनांक 19/8/19  
को सुनाया गया।

महोदय  
*(Signature)*

